

नगर निगम, कोटा उत्तर

(राजस्थान नगरपालिका अधिकारियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/KOTA NORTH/FIRENOC/2023-24/24973

जारी दिनांक:

31-JAN-2024

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PRAVIN KUMAR

आवेदक का पता: NEAR MAHALAXMI ENCLAVE , BARANROAD

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SIR PADAMPAT SINGHANIA SCHOOL, 3, BARAN ROAD, NEAR MAHALAXMI ENCLAVE, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पांचदं करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

- भवन में समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा एवं वर्ष में तीन बार संघर्ष के स्तर पर मॉकड्रील आयोजित की जानी होगी।
- भवन के जिस भाग के लिए जिस कार्य के संचालन के लिए जारी किया जा रहा है वहां पर रुफ़टॉफ रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। पुनः नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।
- आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुँचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादि लगाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
- भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिशंषा पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वंतत्र रूप से होगा।
- आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुँचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादि लगाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
- अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन तक पहुँच सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को सदेव कार्यशील अवस्था में रखने होगे।
- भवन का मौका निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारीयों के द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना की जानी होगी।
- भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिशंषा पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वंतत्र रूप से होगा।
- भूमि व भवन रहवासी संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशय: में आवेदक स्वयं उत्तरदादी होगा।
- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में रुपटॉफ रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।

Signed by: Kartikeya Meena
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA NORTH, Rajasthan
Date: 31/01/2024 03:29:42

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा उत्तर